# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा
## पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 06/2022

**अपीलांटगण–**

1. जैतमालसिंह पुत्र केशरसिंह
2. गोरधनसिंह पुत्र केशरसिंह

जातियान राजपूत, निवासीयान कोलू, तहसील बायतु, जिला बालोतरा।

**बनाम**

**उत्तरदातागण–**

1. तहसीलदार बायतु
2. गुलाबसिंह पुत्र जोरसिंह

2/1 सुमेरसिंह पुत्र गुलाबसिंह
2/2 देवीसिंह पुत्र गुलाबसिंह
2/3 मदन कंवर पुत्री गुलाबसिंह
2/4 धापूकंवर पत्नी गुलाबसिंह

3. बाबूसिंह पुत्र दीपसिंह
4. जयसिंह पुत्र दीपसिंह
5. मुकनसिंह पुत्र दीपसिंह
6. पदमसिंह पुत्र दीपसिंह
7. गंगा कंवर पत्नी दीपसिंह
8. भगवानसिंह पुत्र सबलसिंह
9. हनवंतसिंह पुत्र सबलसिंह
10. खीमसिंह पुत्र सबलसिंह
11. प्रेमकंवर बेवा सबलसिंह
12. उम्मेदसिंह पुत्र बींजराजसिंह
13. आईदानसिंह पुत्र बींजराजसिंह
14. जालमसिंह पुत्र बींजराजसिंह
15. शैतानसिंह पुत्र बींजराजसिंह
16. मीरो बेवा बींजराजसिंह

जातियान राजपूत, निवासीयान कोलू, तहसील बायतु जिला बालोतरा।

**राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक – राजस्व/2010/331 दिनांक 31.12.2010 तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।**

उपस्थितिः–

1. श्री नरपत पूनड़, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से उपस्थित।
2. उतरदाता संख्या 01 फॉरमल पक्षकार होने से उपस्थिति आवश्यक नहीं।
3. उतरदातागण संख्या 02 से 16 से अनुपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

**आदेश**

**दिनांक :– 28.08.2024**

1. पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता उपस्थित। उतरदातागण संख्या 02 से 16 अनुपस्थित। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण है कि अपीलांटगण व



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

उतरदातागण संख्या 01 से 16 जिनका संयुक्त पैतृक खातेदारी के खेत खसरा संख्या 160 रकबा 22.14 बीघा, खसरा संख्या 157 रकबा 56.12 बीघा, खसरा संख्या 161 रकबा 62.05 बीघा, खसरा संख्या 962 रकबा 84.04 बीघा, खसरा संख्या 134 रकबा 59.12 बीघा कुल रकबा 285.07 बीघा के सरहद मौजा कोलू, नरसाली नाडी व डाबलिया तहसील बायतु जिला बालोतरा में आये हुए है। जो कि अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 01 से 16 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी है। उक्त वर्णित भूमि के खसरा संख्या 160, 962 व 134 की भूमि में उतरदातागण संख्या 02 से 16 की संयुक्त खातेदारी तथा खसरा संख्या 157, 161 की सम्पूर्ण भूमि में अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 02 से 16 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 02 से 16 ने आपसी सहमति से माफिक बाहमी तौर पर विभाजित करवाने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में बंटवारा प्रस्ताव रखा। जिस पर अपीलांटगण ने विश्वास कर सहमति जाहिर की गई। परंतु हल्का पटवारी द्वारा उक्त सहमति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय मौका कब्जा अनुसार नक्शे रंग नहीं भर कर विभाजन प्रस्ताव पारित करवा दिया। जिससे अपीलांटगण का मौका पर कब्जा काश्त अनुसार भूमि का बंटवाड़ा न होकर उतरदाता संख्या 02 से 16 की सुविधा अनुसार बंटवाड़ा आदेश पारित करवा दिया।

2. इस न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि का राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने हेतु मिसल चिटठी लिखी गई और उतरदातागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उतरदातागण संख्या 05, 09 व 14 दौरान पेशी एक बार उपस्थित हुए तथा शेष उतरदातागण नोटिस सूचना बावजूद अनुपस्थित रहे। उसके पश्चात पत्रावली बहस के दौरान उतरदातागण 02 से 16 भी बावजूद सूचना जरिये कॉज लिस्ट अनुसार अनुपस्थित रहे।

3. अधिवक्ता अपीलांटगण की बहस सुनी गई अधिवक्ता अपीलांटगण ने दौराने बहस अवगत कराया कि अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 02 संख्या 16 आपसी समहति विभाजन हेतु उतरदाता संख्या 01 के समक्ष बंटवाड़ा प्रस्तुत किया। अपीलांटगण ने उतरदातागण 02 से 16 का विश्वास कर अपीलांटगण ने विभाजन प्रस्ताव पर अंगुष्ठ निशान किये लेकिन उक्त



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा में उस समय कोई रंग नहीं भरे हुए होने से अपीलांटगण द्वारा प्रश्न किया गया जिस पर उतरदातागण द्वारा कहा गया की बंटवाड़ा होने के बाद संबंधित पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार सही रंग भरे जायेंगे। परन्तु उतरदातागण संख्या 02 से 16 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर नक्शे में अपनी इच्छानुसार रंग भरवा दिये तथ विभाजन में रकबा भी अपनी मनमर्जी से अंकित करवाकर विभाजन प्रस्ताव उतरदाता संख्या 01 के समक्ष पेश किये। जिस पर उतरदाता संख्या 01 द्वारा दिनांक 31.12.2010 को बंटवाड़ा आदेश पारित कर दिया।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने दौरान बहस अवगत कराया कि उतरदातागण संख्या 02 से 16 ने अपीलांटगण को धोखे में रख कर उनके अनपढ़ होने का फायदा उठा कर खाली नक्शे पर अंगुष्ठ निशान करवाये जिससे खसरा संख्या 157 रकबा 56 बीघा 12 विस्वा में अपीलांटगण का 1/2 हिस्सा से रकबा 28 बीघा 06 विस्वा का सही अंकन करवा दिया परंतु खसरा संख्या 161 रकबा 62 बीघा 05 विस्वा में अपीलांटगण का 1/2 हिस्सा से रकबा 31 बीघा 02 विस्वा 10 विस्वांशी के स्थान पर गलत रकबा 26 बीघा 17 विस्वा का अंकन करवा दिया तथा मौके पर बाहमी तौर पर किये गये बंटवाड़ा से भिन्न प्रकार से बंटवाड़ा करवा दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा यह अपील इस आशय के साथ पेश की गई कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय तहसीलदार बायतु ने विधि के प्रावधानों व प्रक्रिया को अनदेखा कर विधिक भूल से उक्त अपूर्ण व शून्य निर्णय पारित किया जिसके कारण अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश खारिज होने योग्य है। अतः तहसीलदार बायतु द्वारा पारित आदेश क्रमांक – राजस्व/2010/331 दिनांक 31.12.2010 को अपास्त कर पत्रावली को पुनः नये सिरे से बंटवाड़ा करवाने के लिए तहसीलदार बायतु को प्रेषित की जावे।

4. उतरदातागण लगातार अनुपस्थित होने से हमनें अधिवक्ता अपीलांटगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि मय नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं मूल बंटवाड़ा आदेश की पत्रावली को ध्यान में रखते हुए पत्रावली के



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

गहन अध्ययन उपरांत पाया कि मौजा कोलू, नरसाली नाडी व डाबलिया पटवार हल्का कोलू के खेत खसरा संख्या खसरा संख्या 160 रकबा 22.14 बीघा, खसरा संख्या 157 रकबा 56.12 बीघा, खसरा संख्या 161 रकबा 62.05 बीघा, खसरा संख्या 962 रकबा 84.04 बीघा व खसरा संख्या 134 रकबा 59.12 बीघा कुल रकबा 285.07 बीघा भूमि का बंटवाड़ा आदेश दिनांक 31.12.2010 को पारित किया गया था जिसकी पालना में राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में बंटवाड़ा आदेश को अमलदरामद किया गया था। चूंकि अपीलांटगण की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत व हिस्सा अनुसार नहीं हुआ है। जिससे अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति हुई है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति व हिस्से की स्थिति में समानता होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति एवं हिस्सा अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा चाहता है। ऐसी सूरत में अपीलांटगण की अपील का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजा अपीलांटगण की अपील अन्दर म्याद शुमार कर स्वीकार की जाकर तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक – राजस्व/2010/331 दिनांक 31.12.2010 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बायतु को प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अुनसार एवं हिस्सा अनुसार सभी पक्षकारो की उपस्थिति में भूमि का विभाजन आदेश एवं नक्शे में अंकित करते हुए पुनः विधिवत नये सिरे से आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक **28.08.2024** को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(नानू राम सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा